अध्याय–4: अन्य कर प्राप्तियाँ

अनुभाग क: वाहन कर

4.1 कर प्रशासन

वाहन कर की प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती है:

- मोटर यान (मो.या.) अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर यान (के.मों.या.) नियम, 1989;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (छ.ग.मो.या.क.) अधिनियम, 1991;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1992;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994; एवं
- समय–समय पर इन अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत जारी किये गये कार्यपालिक आदेश।

परिवहन विभाग, प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त (प.आ.) के संपूर्ण प्रभार में कार्य करता है, जो की नीतियों, निर्देशों एवं प्रशासन के क्रियान्वयन एवं कार्यपालन, कर की दरों में संशोधन के प्रस्तावों आदि हेतु उत्तरदायी है। अधिनस्थों द्वारा प्रकरणों के निर्धारण के संबंध में परिवहन आयुक्त एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी सहायता हेतु एक अपर परिवहन आयुक्त (अ.प.आ.), एक संयुक्त परिवहन आयुक्त, एक सहायक परिवहन आयुक्त एवं एक उपसंचालक, वित्त (उ.सं.वि.) मुख्यालय में होते हैं। परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ.), दो अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अ.क्षे.प.अ.) एवं 16 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) होते हैं। क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. के पर्यवेक्षी नियंत्रण में 15 चेक पोस्ट एवं एक उप–चेक पोस्ट हैं। क्षे.प.अ. परमिट, लायसेंस का जारी करना, वाहनों का पंजीयन एवं मोटर यान कर का निर्धारण एवं संग्रहण करने हेतु उत्तरदायी हैं। अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. परमिट जारी करने को छोड़कर शेष कार्य क्षे.प.अ. के समान हैं। अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों पर परमिट संबंधित क्षे.प.अ. द्वारा जारी किये जाते है।

4.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.इ.) में एक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी, एक कनिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं तीन कनिष्ठ लेखापरीक्षक शामिल हैं। वर्ष 2016–17 में आं.ले.इ. अपने समस्त कार्यबल के साथ कार्य कर रहे थे।

वर्ष 2016–17 के दौरान, आं.ले.इ. ने कुल 27 इकाईयों की लेखापरीक्षा हेतु योजना बनाई थी, जिसमें से मात्र 17 इकाईयों का ही लेखापरीक्षा कार्य संपन्न किया गया। विभाग ने उत्तर (सितम्बर 2017) में कहा कि लेखापरीक्षा की गई इकाईयों को आं.ले.इ. के 17 टिप्पणियों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा (जून 2018) गया कि जो चार अधिकारी/कर्मचारी आं.ले.इ. में पदस्थ थे वह विभाग के अन्य कार्य भी कर रहे थे, जो कि समस्त कार्यबल के साथ कार्य करने के बावजूद संपूर्ण इकाईयों की लेखापरीक्षा नहीं किये जाने का कारण हो सकता है।

अनुशंसा:

शासन समर्पित कर्मचारियों की पदस्थापना कर आं.ले.इ. को सुदृढ़ करें।

4.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2016–17 में लेखापरीक्षा द्वारा परिवहन विभाग की कुल 21[1] इकाईयों में से 10[2] इकाईयों की नमूना जाँच की गयी। विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 829.22 करोड़ अर्जित की, जिसमें से निरीक्षण किये गये इकाईयों द्वारा ₹ 646.71 करोड़ राजस्व संग्रहण किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 12.08 करोड़ के अनियमिततायें देखी गयी जिसका विवरण **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वाहनों से कर/शास्ति की अप्राप्ति	5,686	9.62
2.	बैंक/कोषालय में शासकीय राशि का प्रेषण न किया जाना/विलंब से किया जाना	5,081	0.38
3.	कर का अवरोपण	374	1.84
4.	प्रवेश कर का अनारोपण/अवरोपण	12	0.23
5.	अन्य अनियमिततायें[3]	925	0.01
योग		**12,078**	**12.08**

विभाग द्वारा जून 2018 तक व्यापार कर की कम प्राप्ति, कर एवं शास्ति की अप्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित 8,728 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 11.79 करोड़ को स्वीकारते हुए 2,165 प्रकरणों में राशि ₹ 3.11 करोड़ कर वसूली की गयी। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा पूर्व के लेखपरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की राशि ₹ 1.26 करोड़ की वसूली की गयी। वसूल की गयी राशियों में से राशि ₹ 4.40 लाख वर्ष 2011–12 के पूर्व लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित है।

4.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

अवधि 2011–12 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा 14 कंडिकाओं के माध्यम से राशि ₹ 53.56 करोड़ के विभिन्न आक्षेप लिये गये, जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 37.80 करोड़ को स्वीकारते हुए ₹ 3.97 करोड़ की वसूली की गई।

लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2006–07 से 2011–12 के आठ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के चर्चा हेतु 11 कंडिकाओं का चयन किया गया एवं समिति द्वारा वर्ष 2003–04, 2004–05, 2006–07 एवं 2008–09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के

---

1 परिवहन आयुक्त एवं 20 क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ.

2 अ.क्षे.प.अ. दुर्ग एवं राजनांदगांव; जि.प.अ. बलौदाबजार, गरीयाबंद, कोरबा एवं रायगढ़ एवं क्षे.प.अ. बस्तर, बिलासपुर, रायपुर एवं सरगुजा

3 अन्य अनियमितताऐं में सम्मिलित है निर्धारित आयु से अधिक आयु के वाहनों का परिचालन, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहनों का परिचालन एवं परिवहन वाहनों के परमिटों का नवीनीकरण नहीं होना इत्यादि।

चार कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा प्रदान की गयी। हालांकि वर्ष 2008–09 के एक कंडिका पर कार्यवाही टीप प्राप्त नहीं हुई है।

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2003–04 (कंडिका 7.22), 2004–05 (कंडिका 7.26) एवं 2006–07 (कंडिका 3.2) पर अपनी अनुशंसाऐं (46वां प्रतिवेदन, 2009–10, 56वां प्रतिवेदन, 2009–10, 96वां प्रतिवेदन, 2011–12) देते हुए बकाया कर की वसूली जल्द कर एवं लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही करने को कहा। लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि लोक लेखा समिति के 46वां एवं 56वां प्रतिवेदनों में दिये गये अनुशंसा अनुसार इन कंडिकाओं में सन्निहित कर एवं शास्ति की राशि ₹ 5.48 करोड़ के विरूद्ध विभाग द्वारा ₹ 1.08 करोड़ के कर एवं शास्ति की वसूली कर ली गयी एवं अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। इसके बावजूद समान प्रेक्षण वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये। यह विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं को दोहराने के लिए रोकथाम हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किये जाने को दर्शाता है।

अनुशंसाः

विभाग को कर की तत्काल वसूली कर, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम समान प्रकरणों में जहां पर पूर्व में ही आश्वासन/निर्देश दिये जा चुके हं की पुनरावृत्ति न हो।

4.5 वाहन स्वामियों से मोटर यान कर की अप्राप्ति

क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा मांग जारी करने में विफलता के कारण 2,263 वाहन स्वामियों से कर की राशि ₹ 3.48 करोड़ एवं शास्ति की राशि ₹ 2.31 करोड़ की अप्राप्ति।

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 प्रावधानित करता है कि राज्य में रखे एवं उपयोग हेतु रखे गये प्रत्येक माल एवं यात्री वाहनों पर कर[4] अधिनियम के प्रथम अनुसूची में विर्निदिष्ट दरों अनुसार किया जायगा। भूगतान न करने की दशा में माल एवं यात्री वाहन स्वामियों द्वारा शास्ति[5] देय होगी परन्तु असंदत्त कर से अधिक नहीं। अगर वाहन स्वामी कर, शास्ति या दोनों भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी मांग जारी करेगा एवं बकाया वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने हेतु कार्यवाही करेगा। अगर वाहन स्वामी किसी अवधि के लिए वाहन 'ऑफ–रोड़' रखना चाहता है तो वह संबंधित कराधान प्राधिकारी को अवधि की शुरूआत में वाहन के अनुपयोग हेतु सूचित करेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा सात परिवहन कार्यालयों[6] में 1,09,221 पंजीकृत वाहनों में से 8,305 वाहनों की मांग एवं संग्रहण पंजी एवं वाहन डाटाबेस से नमूना जाँच (अप्रैल 2016 एवं दिसम्बर 2016 के मध्य) किये जाने पर पाया गया कि 4,145 वाहनों[7] द्वारा अवधि मार्च 2015 से नवम्बर 2016 तक के कर की राशि ₹ 5.68 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है। वाहन स्वामियों द्वारा कोई 'आफ–रोड़' घोषणा प्रस्तुत नहीं किया गया था। जबकि संबंधित क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु दोषी

---

4 मासिक कर (यात्री यानों); त्रैमासिक कर (माल यानों) एवं जीवनकाल कर (यात्री यान एवं मालयानों को छोड़कर)

5 असंदत्त कर का एक बटा बारवहां (यात्री एवं माल वाहनों) एवं एक बटा सौवां (मैक्सी–कैब) प्रतिमाह एवं उसका भाग

6 अ.क्षे.प.अ., दुर्ग एवं राजनांदगांव; जि.प.अ., कोरबा एवं रायगढ़; क्षे.प.अ., बिलासपुर, रायपुर एंव सरगुजा

7 3,336 (माल यानों) + 809 (यात्री यानों) = 4,145 वाहनों

वाहन स्वामियों को मांग जारी नहीं की गई। परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 5.68 करोड़ (माल यानों: ₹ 3.47 करोड़ एवं यात्री यानों: ₹ 2.21 करोड़) की अप्राप्ति हुई। साथ ही असंदत्त कर पर शास्ति राशि ₹ 3.20 करोड़ (माल यानों: ₹ 2.04 करोड़ एवं यात्री यानों: ₹ 1.16 करोड़) भी आरोपणीय था।

इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (अक्टुबर 2017 एवं जुलाई 2018) में कहा कि 1,882 वाहन स्वामियों से राशि ₹ 3.09 करोड़ (कर: ₹ 2.20 करोड़ एवं शास्ति: ₹ 88.99 लाख) वसूल कर ली गयी है। शेष 2,263 वाहन स्वामियों से बकाया राशि ₹ 5.79 करोड़ वसूली हेतु मांग जारी कर दी गयी है। अत: 2,263 वाहन स्वामियों से ₹ 5.79 करोड़ (कर: ₹ 3.48 करोड़ एवं शास्ति: ₹ 2.31 करोड़) अभी भी बकाया है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समान आक्षेप इंगित किये गये थे परन्तु विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम हेतु कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी।

अनुशंसा:

विभाग एक ऐसा तंत्र विकसित करे, जिससे वाहन करों की पूर्ण वसूली हो सके तथा कर एवं शास्ति का भुगतान करने से कोई भी चूककता बच न सके।

अनुभाग ख: राज्य उत्पाद

4.6 कर प्रशासन

आबकारी राजस्व मुख्यत: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत मादक पदार्थों का विनिर्माण, थोक विक्रय, खुदरा विक्रय, परिवहन पर लिये गय उत्पाद शुल्क, लायसेंस फीस आदि सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग सिनेमा घरों, विडियों एवं केबल टी व्ही आपरेटरों एवं डायरेक्ट–टू–होम (डी.टी.एच.) आपरेटरों से मनोरंजन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करती है।

सचिव सह आबकारी आयुक्त आकबारी नीति के बनाने एवं क्रियान्वयन करने हेतु उत्तरदायी है। उसकी सहायता हेतु मुख्यालय में दो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (अति. आ.आ.), एक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, दो उपायुक्त (उ.आ.) एवं पांच सहायक आयुक्त (स.आ.) होते हैं। विभाग में तीन संभाग हैं, प्रत्येक संभाग के मुखिया उपायुक्त होते हैं। प्रत्येक संभाग में एक उड़नदस्ता होता है जो संभाग के जिला कार्यालयों, आसवनीयों एवं बोतल भराई इकाईयों का पर्यवेक्षण करते है। प्रत्येक 27 जिलों में कलेक्टर आबकारी प्रशासन का मुखिया होता है, जिसकी सहायता हेतु जिला मुख्यालयों/आसवनीयों में सहायक आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी (जि.अ.अ.) होते है।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होते हैं:

- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915;
- छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995;
- छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996;
- छत्तीसगढ़ देशी स्पीरिट नियम, 1995 एवं
- छत्तीसगढ़ देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002।

4.7 आंतरिक लेखापरीक्षा

उपसंचालक, वित्त, आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.इ.) का मुखिया होता है। लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वर्ष 2016–17 में एक उपसंचालक (वित्त), दो सहायक लेखा अधिकारी, एक सहायक ग्रेड़– II एवं दो सहायक ग्रेड़– III के स्वीकृत पद के विरूद्ध एक उपसंचालक (वित्त), एक सहायक लेखा अधिकारी एवं दो सहायक ग्रेड़– III कार्यरत थे। सहायक लेखा अधिकारी एवं सहायक ग्रेड़– II के एक–एक पद सात से अधिक वर्ष से रिक्त थे।

लेखापरीक्षा द्वारा आगे यह देखा गया कि आं.ले.इ. द्वारा वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक कोई भी आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। वर्ष 2016–17 में 12 इकाईयों की लेखापरीक्षा योजना के विरूद्ध आं.ले.इ. ने आठ इकाईयों में लेखापरीक्षा कार्य का संपादन किया।

विभाग द्वारा व्यक्त (जून 2018) किया गया कि रिक्त पदों को भरने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त को लिखा गया था परन्तु पद रिक्त है। विभाग द्वारा आगे यह व्यक्त किया गया कि कर्मचारियों की अनुपलब्धता एवं उपसंचालक, वित्त के दोहरे प्रभार होने के चलते सभी आयोजित इकाईयों का लेखापरीक्षा नहीं किया जा सका। विभाग द्वारा आगे व्यक्त (जून 2018) किया गया कि मात्र एक इकाई से पालन प्रतिवदेन प्राप्त हुआ एवं शेष सात इकाईयों को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्मरण पत्र जारी किये गये हैं।

अनुशंसाः

राज्य शासन को आं.ले.इ. में रिक्त पदों को भरा जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों का प्रभावशील पालन किया जाना चाहिए।

4.8 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग से संबंधित 27 इकाईयों[8] में से 17 इकाईयों[9] का नमूना जाँच किया गया। वर्ष 2015–16 में विभाग ने कुल ₹ 3,367.12 करोड़[10] का राजस्व अर्जित किया, जिसमें से लेखापरीक्षा किये गये इकाईयों द्वारा ₹ 2,782.91 करोड़[11] का संग्रहण किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 19,569 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 45.06 करोड़ की अनियमिततायें देखी गयी, जो कि निम्न श्रेणियों के अंतर्गत **तालिका 4.2** मे वर्गीकृत किया गया हैः

तालिका 4.2: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क एवं लायसेंस फीस का अनारोपण/अवरोपण एवं हानि	104	4.42
2.	मद्यभण्डागारों में स्पिरिट के न्यूनतम भण्ड़ार रखने में असफल रहने पर शास्ति का अनारोपण	51	2.83
3.	अत्यधिक हानि पर आबकारी शुल्क का	12	0.20

[8] एक आबकारी आयुक्त; छः स.आ. एवं 20 जि.अ.अ.

[9] स.आ., बिलासपुर, दुर्ग, जांजगरी–चांपा, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं जि.अ.अ., बालोद, बस्तर, दंतेवाडा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, महासमुंद एवं सरगुजा।

[10] राज्य उत्पाद (₹ 3,338.40 करोड़) एवं मनोरंजन कर (₹ 28.72 करोड़)

[11] ₹ 2,754.28 करोड़ (राज्य उत्पाद) एवं ₹ 28.63 करोड़ (मनोरंजन कर)

	अनारोपण/अवसूली		
4.	अन्य अनियमितताये[12]	19,402	37.61
योग		**19,569**	**45.06**

विभाग द्वारा 570 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 16.03 करोड़ को स्वीकारते (अप्रैल 2016 एवं फरवरी 2017 के मध्य) हुए, 22 प्रकरणों में राशि ₹ 29.64 लाख की वसूली की गई (जून 2018)।

प्रारूप कंडिका के जारी किये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा 12 अनुज्ञप्तिधारी से लायसेंस फीस एवं उत्पाद शुल्क को विलंब से जमा किये जाने पर शास्ति राशि ₹ 23.35 लाख की वसूली की गई।

वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा पूर्व के लेखपरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के 10 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 44.09 लाख की वसूली की। सभी वसूल की गई राशि वर्ष 2011–12 के पूर्व लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित थे।

4.9 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

अवधि 2011–12 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा राशि ₹ 270.69 करोड़ के विभिन्न आक्षेप लिये गये, जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 85.46 करोड़ को स्वीकारते हुए ₹ 0.79 लाख की वसूली की गई।

लोक लेखा समिति द्वारा सात[13] लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के चर्चा हेतु नौ कंडिकाओं का चयन किया गया एवं समिति द्वारा वर्ष 2005–06 एवं 2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के दो कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा प्रदान की गयी। हालांकि वर्ष 2007–08 के कंडिका 3.2.7 पर समिति द्वारा अनाज से शीरा तैयार करने के मानक प्रधान महालेखाकार से सलाह कर तय करने हेतु दिये गये अनुशंसा (8वां प्रतिवेदन, 2014–15) पर कार्यवाही टीप प्राप्त नहीं हुई है।

अनुशंसाः

विभाग सुनिश्चित करे कि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं का त्वरित पालन हो।

4.10 बैंक गारंटी एवं प्रतिभूति जमा राशि का बकाया राशि से अनियमित समायोजन

छः अनुज्ञप्तिधारी जिनके अनुज्ञप्ति निरस्त किये गये एवं चार अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने दुकानों के संचालन अवधियों के लायसेंस फीस एवं आबकारी शुल्क का भुगतान नहीं किया, विभाग द्वारा उनका अभ्यपर्ण का आवेदन स्वीकार करते हुए बैंक गारंटी एवं प्रतिभूति जमा की राशि का राजसात किये जाने के बजाय उनकी बैंक गारंटी राशि ₹ 3.04 करोड़ एवं प्रतिभूति जमा राशि ₹ 2.13 करोड़ का समायोजन बकाया राशि ₹ 27.73 करोड से करते हुए ₹ 22.56 की मांग जारी की।

---

[12] अन्य अनियमितताऐं में सम्मिलित है 'डीटीएच आपरेटरों द्वारा सबस्कराइबर रेजीस्ट्रेसन कार्ड जारी न किया जाना', 'राजस्व का अवरूद्ध', आदि

[13] वर्ष 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 प्रावधानित करती है कि बैंक गारंटी[14] एवं प्रतिभूति जमा[15] की राशि अनुज्ञप्तिधारी जमा करे। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के धारा 33 के अनुसार मंजूर की गई अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक, अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करने के अपने आशय की एक मास की लिखित सूचना की, जो उसके द्वारा कलेक्टर को दी गई है, अवधि समाप्त हो जाने पर और ऐसी शेष अवधि के लिए जिसके लिए वह ऐसा अभ्यर्पण न किये जाने की दशा में चालू रहती, अनुज्ञप्ति के लिए देय फीस का संदाय किए जाने पर अपनी अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा। अनुज्ञप्ति निरस्त होने की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 31 एवं नियम 23 के तहत् क्रमशः अनुज्ञप्ति निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूतियों को राजसात करने की कार्यवाही करेगा। अनुज्ञप्तिधारी लाईसेंस के निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकार या प्रतिभूति जमा एवं बैंक गारंटी की वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा। नियम 21 यह कहता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंतिम भुगतान किये जाने के पश्चात् ही माह मार्च की देय मासिक अंशिका के विरूद्ध समायोजन योग्य होगी।

लेखापरीक्षा द्वारा दो कार्यालयों[16] के वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समूहों के व्यवस्थापन से संबंधित 76 दुकान समूहों के अभिलेखों के जाँच किये जाने पर पाया गया कि चार[17] अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लायसेंस के अभ्यर्पण हेतु आवेदन किया (जून 2015 एवं जुलाई 2015 के मध्य), परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शेष अवधि के लिए लायसेंस फीस (₹ 13.32 करोड़) एवं आबकारी शुल्क (₹ 7.13 करोड़) की राशि जमा नहीं की गई और ना ही दुकानों के संचालन अवधि के देय राशि का भुगतान किया गया। उसी प्रकार छः[18] अनुज्ञप्तिधारियों के लायसेंस विभाग द्वारा लायसेंस फीस एवं आबकारी शुल्क की राशि ₹ 7.28 करोड़ का भुगतान न किये जाने के कारण निरस्त (फरवरी 2015 एवं अक्टुबर 2015 के मध्य) किया गया। विभाग द्वारा नियम 23 के अनुसार बैंक गारंटी एवं प्रतिभूति राशि का राजसात करने के बजाय बकाया राशि ₹ 27.73 करोड़ का बैंक गारंटी एवं प्रतिभूति जमा की राशि ₹ 5.17 करोड़[19] के साथ समायोजन कर राशि ₹ 22.56 करोड़ की मांग जारी की गयी।

विभाग का उत्तर (नवम्बर 2017) लेखापरीक्षा आक्षेपों को संबोधित नहीं करता है।

---

[14] न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय लायसेंस फीस का एक बटा बारवहां भाग के समतुल्य राशि

[15] न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय आबकारी शुल्क का एक बटा बारवहां भाग के समतुल्य राशि

[16] स.आ., बिलासपुर एवं स.आ., जांजगीर–चांपा

[17] दुकानों का समूह– बरपाली, चंद्रपुर, कोसमंदा एवं तरौद (स.आ., जांजगीर–चांपा)

[18] दुकानों का समूह– बम्हनीडीह (स.आ., जांजगीर–चांपा); चुचुहियापारा, गनियारी, जूना बिलासपुर, लिंगियाडीह एवं व्यापार विहार (स.आ., बिलासपुर)

[19] बैंक गारंटीः ₹ 3.04 करोड़ एवं प्रतिभूति जमाः ₹ 2.13 करोड